

कार्यालय नगर निगम, मेरठ।


पत्रांक: 544/सा0नि0वि0-2020

दिनांक : सितम्बर, 2020

सार्वजनिक सूचना।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली-2016 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजन एप्लीकेशन संख्या: 21/2014 वर्धमान कौशिक एवं अन्य बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.11.2016 के अनुपालन में C&D Waste के निस्तारण हेतु नगर निगम सीमान्तर्गत निवास करने वाले समस्त नागरिकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है :-

1. ऐसे व्यक्ति/भवन निर्माणकर्ता/टूट-फूटकर्ता/स्वामी जिनके द्वारा भवन निर्माण सामग्री को सार्वजनिक जगह पर खुले में रखा जाता है तो उन्हें चिन्हित करते हुए रखी गई निर्माण सामग्री के जब्तीकरण कर जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
2. यदि किसी व्यक्ति द्वारा भवन निर्माण सामग्री को अपनी परिसीमा/निजी भूमि में रखता है तो वह उसे हरे रंग के डस्टिंग कवर से ढक कर रखेगा तथा निश्चित समयान्तराल पर पानी का छिडकाव करेगा। अन्यथा की स्थिति में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला जायेगा।
3. यदि भवन स्वामी/टूट-फूटकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं नगर निगम सम्पर्क कर C&D Waste उठवाये जाने हेतु सूचना दर्ज करायी जाती है तो उनसे रू0 500 प्रति टन की दर से शुल्क वसूला जायेगा। अथवा यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी भवन स्वामी/टूट-फूटकर्ता/निर्माणकर्ता के विरुद्ध सार्वजनिक सड़क पर निर्माण सामग्री रख कर अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर उससे एकमुश्त 50,000/- रू0 का अर्थदण्ड आरोपित करते हुए सड़क पर रखी समस्त सामग्री जब्त की जायेगी।
4. C&D Waste उठवाने हेतु नगर निगम, मेरठ के टोल-फ्री नम्बर 1800-180-3090, 1800-180-5090 तथा मोबाईल नम्बर 9758211829 एवं 7017509950 पर सूचना दी जा सकती है।


नगर आयुक्त,
नगर निगम, मेरठ।

कार्यालय नगर निगम, मेरठ

पत्रांक: 544/सा०नि०वि०-2020

दिनांक: 5 सितम्बर, 2020

सार्वजनिक सूचना

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली-2016 एवं मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजन एप्लीकेशन संख्या: 21/2014 वर्धमान कौशिक एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.11.2016 के अनुपालन में C&D Waste के निस्तारण हेतु नगर निगम सीमान्तर्गत निवास करने वाले समस्त नागरिकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:-

1. ऐसे व्यक्ति/भवन निर्माणकर्ता/टूट-फूटकर्ता/स्वामी जिनके द्वारा भवन निर्माण सामग्री को सार्वजनिक जगह पर खुले में रखा जाता है तो उन्हें चिन्हित करते हुए रखी गई निर्माण सामग्री के जब्तीकरण कर जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
2. यदि किसी व्यक्ति द्वारा भवन निर्माण सामग्री को अपनी परिसीमा/निजी भूमि में रखता है तो वह उसे हरे रंग के डस्टिंग कवर से ढक कर रखेगा तथा निश्चित समयान्तराल पर पानी का छिडकाव करेगा। अन्यथा की स्थिति में मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला जायेगा।
3. यदि भवन स्वामी/टूट-फूटकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं नगर निगम सम्पर्क कर C&D Waste उठवाये जाने हेतु सूचना दर्ज करायी जाती है। तो उनसे रु० 500 प्रति टन की दर से शुल्क वसूला जायेगा। अथवा यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी भवन स्वामी/टूट-फूटकर्ता/निर्माणकर्ता के विरुद्ध सार्वजनिक सड़क पर निर्माण सामग्री रख कर अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर उससे एकमुश्त 50,000/- रु० का अर्थदण्ड आरोपित करते हुए सड़क पर रखी समस्त सामग्री जब्त की जायेगी।
4. C&D Waste उठवाने हेतु नगर निगम, मेरठ के टोल-फ्री नम्बर 1800-180-3090, 1800-180-5090 तथा मोबाईल नम्बर 9758211829 एवं 7017509950 पर सूचना दी जा सकती है।

नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।